**भारत सरकार**
**श्रम और रोजगार मंत्रालय**
**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या- 1369**
**गुरूवार, 14 दिसंबर, 2023/23 अग्रहायण, 1945 (शक)**

## एनसीएससी-डीए का कार्यान्वयन और विस्तार

**1369. डा. फौजिया खानः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अन्यथा सक्षमों के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र (एनसीएससी-डीए) के स्थान का इसके लिए निर्धारित मूल 8 भवनों के अलावा और विस्तार कर दिया गया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या एनसीएस के अंतर्गत दिव्यांग श्रेणी में रोजगार ढूँढने वालों के रूप में पंजीकृत व्यक्तियों को नौकरी मिल गयी है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(च) क्या सरकार ने एनसीएस के अंतर्गत पंजीकृत सक्रिय और अनुमोदित नियोजन संगठनों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध आवास के संबंध में अध्ययन कराया है;
(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**
**श्रम और रोजगार राज्य मंत्री**
**(श्री रामेश्वर तेली)**

(क) से (ज): जिन भौतिक स्थानों के भीतर दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र (एनसीएससी-डीए) स्थित हैं उन्हें 8 भवनों से आगे विस्तार दिया गया है। ऊना (हिमाचल प्रदेश) में एक नये भवन का निर्माण किया गया है। इसके अलावा, केंद्रों के लिए नया/स्वयं का भवन निर्माण एक नियमित गतिविधि है।

राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल पर अंतिम नियुक्ति के आंकड़े की पुष्टि करना अनिवार्य नहीं है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में प्रावधान है कि सभी मौजूदा सार्वजनिक भवनों को दिव्यांगों के लिए सुलभ बनाया जाएगा।

*****